न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./77/2017/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1मृ.गिरधारी के का. मु.– 1/1. जुगतसिंह पुत्र गिरधारी उर्फ गिरधारीसिंह 1/2. लूणसिंह पुत्र गिरधारी उर्फ गिरधारीसिंह 1/3. भगवानसिंह पुत्र गिरधारी उर्फ गिरधारीसिंह, जातियान पुरोहित, निवासी बालोतरा तह. पचपदरा। 2. मृ. शंकर उर्फ शंकरसिंह के का. मु.– 2/1. लीला पत्नी शंकर उर्फ शंकरसिंह 2/2. मदनसिंह पुत्र शंकर उर्फ शंकरसिंह 2/3. ओमप्रकाश पुत्र शंकर उर्फ शंकरसिंह 2/4. गोपालसिंह पुत्र शंकर उर्फ शंकरसिंह 2/5. मुकेशसिंह पुत्र शंकर उर्फ शंकरसिंह, समस्त जातियान पुरोहित निवासीयान कालूडी तह. पचपदरा, जिला बालोतरा।	1. अर्जुनसिंह पुत्र दयाराम उर्फ देरामसिंह 2. आम्बसिंह पुत्र दयाराम उर्फ देरामसिंह 3. नरपतसिंह पुत्र दयाराम उर्फ देरामसिंह 4. किस्तुरसिंह पुत्र दयाराम उर्फ देरामसिंह 5. जयसिंह पुत्र दयाराम उर्फ देरामसिंह 6. मृ. अगरा उर्फ अगरसिंह के का. मु.– 6/1. रघुवीरसिंह पुत्र अगरा उर्फ अगरसिंह 7. मानसिंह पुत्र पुंजा उर्फ पूंजारसिंह 8. जोधसिंह पुत्र पुंजा उर्फ पूंजारसिंह 9. बाबूसिंह पुत्र पुंजा उर्फ पूंजारसिंह 10. भंवरसिंह पुत्र पुंजा उर्फ पूंजारसिंह 11. प्रेमसिंह पुत्र छोगा जी 12. उत्तमसिंह पुत्र छोगा जी 13. गीगसिंह पुत्र छोगा जी 14. पोकरसिंह पुत्र भूरा जी 15. मांगीलाल पुत्र भूरा जी 16. टीकमसिंह पुत्र अमरसिंह 17. तुलछसिंह पुत्र अमरसिंह 18. मलसिंह पुत्र अमरसिंह 19. नरसिंह पुत्र अमरसिंह सभी जातियान राजपुरोहित निवासीयान कालूडी तह. पचपदरा, जिला बालोतरा। 20. गीगी पुत्री अमरसिंह पत्नी वेद्यसिंह 21. पवनी पुत्री अमरसिंह पत्नी राजूसिंह, जातियान राजपुरोहित, निवासीयान बालेरा, तहसील व जिला बाड़मेर। 22. मृ. मोहनसिंह के का. मु.– 22/1. श्रवणसिंह पुत्र मोहनसिंह 22/2. महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह 22/3. मुनिया पुत्री मोहनसिंह 22/4. मीना पुत्री मोहनसिंह 22/5. संगीता पुत्री मोहनसिंह 22/6. गुड़िया पुत्री मोहनसिंह 23. हड़मतसिंह पुत्र भोपाजी 24. विजयराजसिंह पुत्र भोपाजी 25. विजयसिंह पुत्र भोपाजी 26. धनसिंह पुत्र भोपाजी 27. पीरसिंह पुत्र भोपाजी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	28. ग्रा. प. कालूडी जरीये सरपंच ग्रा. प. कालूडी 29. शाखा प्रबंधक, एस. बी. आई. शाखा टापरा 30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2012 बउनवान गिरधारीसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—28.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा का वाद प्रस्तुत कर सरहद मौज कालुड़ी में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 07 रकबा 242 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 56 बीघा 12 विस्वा, खसरा संख 10 रकबा 15 बीघा 15 विस्वा, खसरा संख्या 53 करबा 27 बीघा 04 विस्वा में अपीलकर्ता/वादीगण का जो 1/2 हिस्सा यानि बराबर 171 बीघा 10 विस्वांसी भूमि है, जो शेष रेस्पोडेन्ट्स के हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस् बंटवारा के जरीये जुदा करने का अनुतोष चाहा। क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये ही हस्तगत प्रकरण की आराजी को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर खुर्द—बुर्द करना चाह रहे थे। उक्त वाद पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्न तलब किया गया, बाद तलबी प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र धारा 11 सी.पी.सी. का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में वाद संख्या 49/1993 पेश हुआ, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हुई, विभाजन प्रस्ताव चाहा गया था, जिस कारण वादी/अपीलांट द्वारा पेश प्रश्नगत वाद वर्तमान में चलने योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना—पत्र को स्वीकार करते हुए वाद को खारीज कर दिया। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा का वाद प्रस्तुत कर सरहद मौज कालुड़ी में अवस्थित कृषि भुमि खसरा संख्या 07 रकबा 242 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 14 रकवा 56 बीघा 12 विस्वा, खसरा संख्या 10 रकबा 15 बीघा 15 विस्वा, खसरा संख्या 53 रकबा 27 बीघा 04 विस्वा में अपीलकर्ता/वादीगण का जो 1/2 हिस्सा यानि बराबर 171 बीघा 10 विस्वांसी भूमि है, जो शेष रेस्पोडेन्ट्स के हिस्से से वाई मिट्स एण्ड बाउन्डस् बंटवारा के जरीये जुदा करने का अनुतोष चाहा। क्योंकि रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये ही हस्तगत प्रकरण की आराजी को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर खुर्द–बुर्द करना चाह रहे थे। उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 11 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुए वाद को रेसज्युड़िकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना मानकर खारिज कर दिया। आवेदन धारा 11 सीपीसी के सिद्धान्तों अनुसार यदि कोई वाद पत्र गुणवगुण पर पक्षकारों के हितों का पूर्णतयाः निर्धारण करते हुए अंतिम रूप से विनिश्चित होता तो धारा 11 सीपीसी से बाधित होता। किन्तु प्रश्नगत पूर्व वाद संख्या 49/1993 में अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं किया गया था। पूर्व वाद की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पूर्व वाद अदम हाजरी में खारिज हुआ था। उक्तानुसार धारा 11 सीपीसी का प्रावधित पुर्व न्याय का सिद्धान्त इस वाद पर लागु नहीं होता है। बंटवारे का वाद जो निरन्तर हेतुक का होता है, जब तक सहखातेदारों के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा नहीं हो जाता तब तक समान रूप से वाद हेतुक प्रभावी रहता है। उक्त विधि विदित तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो खारिज होने योग्य है। कथित पूर्व वाद संख्या 49/1993 जो तत्समय करीब 23 वर्ष पहले वाद ग्रस्त आराजी की जमांबदी में खातेदार को पक्षकार बनाकर पेश किया हुआ था तदोपरान्त कई सह खातेदारों की वर्षों पहले मृत्यू हो गई, इस कारण पुर्व वाद को पुनः उसी नम्बर पर लेने से कई प्रकार की कानूनी पेचींदगीयां उत्पन्न हो जायेंगी, क्योंकि कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु विधि में समयावधि निश्चित है, वर्तमान वाद बंटवारे के अनुतोष का है, जो किसी भी प्रकार से पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को रेसज्युडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना मानते हुए खारिज किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की मूल भावना के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से भी विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार एवं दस्तावेज अनुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से पैरवी व प्रतिरक्षा करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता ही नियुक्त नहीं किया गया था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और

(...कीर्ति कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2012 बउनवान गिरधारीसिंह बनाम अर्जुनसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करतु हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर